उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5
संख्या-112/2022/1740जे0/22-5-2022-1200(59)/2017
लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2022

वारण्ट

मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी द्वारा केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध बंदी लाला उर्फ कालिया पुत्र श्री रामदास को चिकित्सीय परीक्षण के उपरान्त उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय वाराणसी संदर्भित किये जाने के दृष्टिगत उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-26962/सामा-1(5)/मानसिक बंदी/2022, दिनांक 23-08-2021 द्वारा उक्त महिला बंदी को मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित किये जाने की संस्तुति करते हुए शासन से अनुमति मांगी गयी है ।

2- अतएव इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स अधिनियम-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाय तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उनको केन्द्रीय कारागार, वाराणसी वापस भेज दिया जाय।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-112/2022/1740जे0(1)/22-5-2022, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 23-08-2021 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित। (संलग्नक यथोक्त)
2. जिलाधिकारी, वाराणसी।
3. पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
4. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in